अध्याय V

योजना की निगरानी

अध्याय V

योजना की निगरानी

यह अध्याय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में निगरानी तंत्र की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: योजना की निगरानी एवं मूल्याँकन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन मे था।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- राज्य के 75 जनपदों में से मात्र पाँच जनपदों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन एवं निगरानी नहीं की जा रही थी।
- बैठकों के कार्यवृत्त के अभाव में, योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियों का गठन एवं कार्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2017-23 की अवधि में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखापरीक्षा में उल्लिखित अधिकांश आपत्तियां (53 प्रतिशत), एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अनिस्तारित थी।

5.1 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

यद्यपि आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा किया जाना था, तथापि, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व था कि लाभार्थी को प्रक्रिया में अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान करे और यह सुनिश्चित करने के लिए भी निरंतर निगरानी करे कि आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.3 में गुणवत्ता निर्माण के क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के कार्यों को करने के लिए एक समर्पित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के स्थापना की परिकल्पना की गयी थी।

5.1.1 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.3 में प्रावधानित था कि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का नेतृत्व राज्य नोडल अधिकारी करेंगे जिनकी सहायता प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिक करेंगे। जनपद एवं विकास खंड स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन करना था। राज्य, जनपद तथा विकास खंड स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की संरचना एवं उत्तरदायित्व ***परिशिष्ट 5.1*** में वर्णित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने राज्य, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन एवं कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति (सितंबर 2017) दी थी। तथापि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन को यह कहते हुए समाप्त कर दिया (अप्रैल 2018) कि इससे कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात्, राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर तथा पाँच जनपदों[54] के साथ-साथ जनपदों के विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन को स्वीकृति (अक्टूबर 2018) प्रदान की थी। तथापि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधानित होने के उपरांत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोनों अनुमोदनों में (सितंबर 2017 एवं अक्टूबर 2018) जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु 'निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ' के पद की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में से, तीन जनपदों[55] में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन की अनुमति दी गई थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए मात्र एक जनपद अंबेडकर नगर में ही कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था। तथापि, अंबेडकर नगर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'तकनीकी विशेषज्ञ (आईटी)' और 'लेखाकार सहायक' के स्वीकृत पद रिक्त थे। इस प्रकार जनपद अंबेडकर नगर में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का संचालन वांछित स्तर के कर्मचारियों के बिना ही किया गया था।

लेखापरीक्षा मे आगे पाया गया कि भारत सरकार को प्रस्तुत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना में

[54] लखनऊ, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, गोरखपुर और मुरादाबाद

[55] अम्बेडकर नगर, बदायूँ, और मुरादाबाद

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन का उल्लेख 64 से 65 जनपदों[56] एवं 730 से 765 विकास खंडो[57] में किया गया था, जो कि राज्य में त्रिस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को समाप्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (अप्रैल 2018) के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन न होने से भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन की सुविधा, स्थाई प्रतीक्षा-सूची से वार्षिक चयन-सूची तैयार करना, राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने एवं आयोजित करना, प्रत्येक लाभार्थी को एक प्रशिक्षित राजमिस्त्री के साथ जोड़ना, आवाससॉफ्ट[58] पर रिपोर्टिंग की निगरानी करना एवं समय पर किश्तों के निर्गत करने के संदर्भ में योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि प्रस्तावों पर विचार करने के उपरांत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए आउटसोर्सिंग/ संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पाँच जनपदों को अनुमति प्रदान की गई थी। आगे बताया गया कि आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा अन्य जनपदों के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए थे, तथापि, अनुमति प्रदान नहीं की गई। वार्षिक कार्य योजना में दी गयी सूचना के संदर्भ में, राज्य सरकार ने बताया कि वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की जानकारी, शासकीय अधिकारियों एवं अन्य योजनाओं के लिए कार्य में लगे संविदा कर्मियों की थी, जिन्हें जनपद एवं विकास खंड स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के पदों/ जिम्मेदारियों के सापेक्ष भी तैनात किया गया था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट किया गया।

उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित त्रिस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन नहीं किया, यद्यपि योजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक स्तर की भूमिकाएँ एवं ज़िम्मेदारियाँ तय की गई थी। इसके अतिरिक्त,

---

[56] वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 में 64 जनपद तथा वर्ष 2021-22 में 65 जनपद । वर्ष 2018-19 में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन का विवरण नहीं दिया गया।

[57] वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 में 730 विकास खंड तथा 2021-22 में 765 विकास खंड।

[58] आवाससॉफ्ट एक वेब आधारित लेन-देन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में ई-जी-गवर्नेंस की सुविधा प्रदान करता है।

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में प्रावधानित होने के उपरांत भी जनपद स्तर पर 'निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ' का पद स्वीकृत नहीं किया गया था।

5.1.2 जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा आवासों का निरीक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 9.3.2 के अनुसार, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता पर्यवेक्षण की निगरानी भी करेगा। यह सुझाव दिया गया था कि (अ) विकास खंड स्तर पर अधिकारियों को यथासंभव निर्माण के दौरान 10 प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना चाहिए एवं (ब) जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्माण के दौरान दो प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों एवं 56 विकास खंडों में से 18 जनपदों एवं 54 विकास खंडों में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन नहीं किया गया था। अग्रेतर, जैसा की प्रस्तर 5.1.1 में चर्चा की गयी है, नमूना जाँच किए गए एक जनपद[59] जहाँ कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था उसमें 'निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ' का पद सृजित नहीं किया गया था, यद्यपि यह विशेषज्ञ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक था। नमूना जाँच किए गए 56 विकास खंडों ने सूचित किया कि निर्माण के दौरान आवासों का निरीक्षण किया गया था, किन्तु निरीक्षण किए गए आवासों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना का रख-रखाव नहीं किया गया था और सत्यापन हेतु निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। इस प्रकार आवासों के निर्माण के दौरान वांछित स्तर तक निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

भारत सरकार के एरिया ऑफिसर ऐप की वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों से लेखापरीक्षा के संज्ञान मे आया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में 2017-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा शून्य से 0.12 प्रतिशत तक ही कार्यस्थल का दौरा किया गया था जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित वांछित दो प्रतिशत से कम था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण में ऐसे प्रकरण, जहाँ दीवारों पर प्लास्टर न होना, खाना पकाने और स्नान के लिए विशेष स्थान न होना, शौचालय न होना, उचित जल निकासी

[59] अम्बेडकर नगर

प्रणाली न होना एवं छत के रूप में टिन/एस्बेस्टस शीट का उपयोग किया जाना पाये गये एवं जिसकी चर्चा पिछले अध्याय IV में भी की गई है जो क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित अधिकारियों के निरीक्षण मे कमी को इंगित करता था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विकास खंड स्तर पर 10 प्रतिशत निरीक्षण और जनपद स्तर पर दो प्रतिशत निरीक्षण के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित जनपद एवं विकास खंड स्तरों पर निरीक्षण का वांछित स्तर सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.2 राज्य एवं जनपद स्तर पर समितियों का गठन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.4 के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था। राज्य स्तरीय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। इसी प्रकार, जनपद स्तरीय समितियों की अध्यक्षता संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए जिनकी बैठक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में होनी चाहिए। राज्य स्तर एवं जनपद स्तर की समितियों की संयोजन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य[60] और जनपद दोनों स्तरों पर समितियों के गठन के आदेश निर्गत (जून 2017) किए गए थे। तथापि, वर्ष 2017-23 की अवधि में इन समितियों की कार्यप्रणाली के संबंध मे पूछे जाने पर, आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय ने सूचित किया कि समितियों का गठन किया गया था एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं जिसे राज्य में लागू किया जा रहा है, की समीक्षा के लिए आयोजित

[60] अध्यक्ष: मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग, सचिव: आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश, सदस्य: प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, आयुक्त ग्रामीण आवास, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास बोर्ड, निदेशक पंचायती राज, क्षेत्रीय प्रबंधक हुडको, अपर आयुक्त (पीएमएवाई-जी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश और अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त प्रदान किया गया था। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जुलाई 2017) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए गठित समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्रदान नहीं किए गए थे। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए राज्य स्तरीय समिति के कार्य को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गए 19 में से 11 जनपदों में, जनपद स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था। आठ जनपदों[61] मे, जहाँ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने गठन की पुष्टि की, उनके सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को इसके गठन एवं बैठकों के आयोजन से सम्बंधित कोई भी अभिलेख प्रदान नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियों का गठन किया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना की नियमित समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा की गई थी। साथ ही यह भी बताया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक सितंबर 2024 में होना प्रस्तावित थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया और तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की गयी थी।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किए गए जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित करने से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही करा सके। अतः इन समितियों के गठन और कार्यप्रणाली की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किए जाने पर अक्टूबर 2024 में राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

5.3 सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 9.6.1 में प्रावधानित है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित की जानी चाहिए, जिसमें अनिवार्यतः सभी पहलुओं की समीक्षा शामिल हो। सामाजिक लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।

[61] आजमगढ़, बाराबंकी, बदायूं, जौनपुर, झांसी, महोबा, मुरादाबाद और शाहजहांपुर

वर्ष 2017-23 की अवधि में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन की स्थिति **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित की गई	कमी (प्रतिशत में)	रिपोर्ट किए गए प्रकरणों की कुल संख्या	अक्टूबर 2024 तक बंद किए गए प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों का प्रतिशत	
						बंद	लंबित
2017-18	59073	1967	97	13506	4007	30	70
2018-19	59073	15931	73	89746	54276	60	40
2019-20	59073	31445	47	143106	63538	44	56
2020-21	58189	0[62]	0	0	0	0	0
2021-22	58189	30927	47	169033	91118	54	46
2022-23	57702	42436	26	177480	66114	37	63
कुल				**592871**	**279053**	**47**	**53**

(स्रोत: सामाजिक लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित एक नज़र में)

जैसा कि ***तालिका 5.1*** से स्पष्ट है कि क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित सामाजिक लेखापरीक्षा आवधिकता के अनुसार संचालित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-23 की अवधि में सूचित किए गए 5.93 लाख प्रकरणों में से, केवल 2.79 लाख (47 प्रतिशत) प्रकरण ही निस्तारित हुये थे एवं अक्टूबर 2024 तक 3.14 लाख (53 प्रतिशत) प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2017-23 के दौरान सूचित किए गए प्रकरणों में से लंबित प्रकरणों का प्रतिशत 40 से 70 तक था। नमूना जाँच किये गए 19 जनपदों में, यद्यपि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने सामाजिक लेखापरीक्षा होने के संबंध में सूचना दी थी, परन्तु सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुवर्ती कार्यवाही की प्रतियां लेखापरीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि सामाजिक लेखापरीक्षा में सूचित किये गए प्रकरणों, एक बार निदेशालय सामाजिक लेखापरीक्षा से प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही कर उसका निस्तारण करने के लिए जनपदों को उपलब्ध कराया गया था।

[62] वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा में सूचित किए गए अधिकांश प्रकरण सूचित किये जाने के छः वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अनिस्तारित थे।

5.4 आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवासों के निर्माण के प्रगति की निगरानी

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.7.2 के अनुसार राज्य को स्वीकृति के समय प्रथम किश्त का भुगतान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। प्रथम किश्त के अतिरिक्त, राज्यों को आवाससॉफ्ट में छः[63] स्तरों में से उनकी पसंद के निर्माण चरणों/स्तरों को अवशेष किश्तों को मैप करना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लिंथ स्तर तक के निर्माण के साथ दूसरी किश्त एवं तीसरी किश्त आवास के पूरा होने पर यानी छत ढलाई एवं प्लास्टर के पश्चात अवमुक्त करने के आदेश (नवंबर 2017) निर्गत किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि, सत्यापन के लिए चयनित 2,178 लाभार्थियों में से 42 प्रकरणों में, आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए गए पूर्ण आवासों के चित्र, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए चित्र से मेल नहीं खाते थे। आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये गए चित्र के आधार पर किश्तों को निर्गत किया गया था। ऐसे दो प्रकरणों के संबंध में आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये गए चित्र एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गये चित्र को ***चित्र 5.1*** में दर्शाया गया है।

[63] नींव, प्लिंथ, खिड़की, लिंटेल, छत की ढलाई एवं पूर्ण निर्माण

चित्र 5.1: अवास साफ्ट एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए चित्रों में भिन्नता

<table>
<tr><td colspan="2">लाभार्थी पहचान संख्या - यूपी 119685401, ग्राम पंचायत-गौरी सलोनीपुर, विकास खंड नवाबगंज, जनपद-उन्नाव</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया चित्र (निरीक्षण तिथि 06.07.2021)</td><td>संयुक्त भौतिक सत्यापन में लिया गया चित्र (तिथि 11.01.2024)</td></tr>
<tr><td colspan="2">लाभार्थी पहचान संख्या - यूपी 141721446, ग्राम पंचायत- पूरे बस्ती गड़ेरिया, विकास खंड महसी, जनपद बहराइच</td></tr>
<tr><td>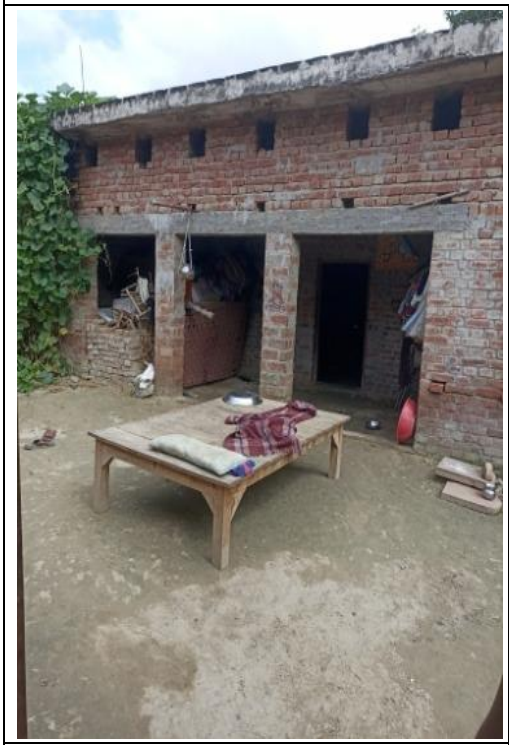</td><td>
</td></tr>
<tr><td>आवाससॉफ्ट के अनुसार (निरीक्षण तिथि 25.09.2023)</td><td>संयुक्त भौतिक सत्यापन. (तिथि 09.10.2023) में लिया गया चित्र - संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल एक तरफ नींव का कार्य देखा गया</td></tr>
</table>

इस प्रकार, उपरोक्त चित्रों से यह स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में निर्धारित निर्माण के चरणों से जोड़कर किश्तों को निर्गत करने की निगरानी में शिथिलता बरती गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक किश्त निर्गत करने एवं निर्धारित मानक के अनुसार आवास के पूर्ण होने के उपरान्त जियो टैगिंग कर चित्र अपलोड करने का प्रावधान था। निर्मित या निर्माणाधीन आवास के वास्तविक चित्र को अपलोड किया जाना था। इन प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए सुधारात्मक उपाय करने एवं भविष्य में आवाससॉफ्ट में अपलोड किये गए एवं वास्तविक चित्र में भिन्नता की पुनरावृत्ति दोहराये न जाने हेतु निर्देश निर्गत (अगस्त 2024) किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान यह भी सूचित किया गया कि आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवासों के निर्माण की कठोर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

सारांश में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुसार योजना की निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई थी। वर्ष 2017-23 के दौरान अधिकांश जनपदों एवं विकास खंडो में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन नहीं किया गया था, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के क्रियान्वयन, निगरानी तथा पर्यवेक्षण को प्रभावित किया। अपेक्षित साक्ष्य के अभाव में राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियों की कार्यप्रणाली को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों के द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के निर्माण के निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित आवधिकता के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई थी एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए अधिकांश प्रकरणों का समाधान किया जाना लंबित था। इसके अतिरिक्त, आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवासों के निर्माण की निगरानी में कमी पाई गई।

अनुशंसायें:

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

(12) योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जनपद एवं विकास खंड स्तरों पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों की शीघ्र स्थापना की जाए।

(13) योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण में सुधार हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण के दौरान निरीक्षण किया जाए।

(14) दिशानिर्देशों में निर्धारित आवधिकता के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की जाए तथा सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गयी आपत्तियों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।

(राज कुमार)

प्रयागराज — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)

दिनांक: 19 नवम्बर 2025 — उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 24 NOV 2025